राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 9/2021 दायर दिनांक 25.06.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. अशोक पुत्र घीसालाल जाति रेगर नि0 सुरसुरा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0
2. इन्दरा पुत्री घीसालाल पत्नि चेतन सुनारीवाल जाति रेगर नि0 सुरसुरा, तहसील रूपनगढ हाल कुचील तह0 किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. जितेन्द्र पुत्र घीसालाल जाति रेगर नि0 सुरसुरा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0
4. बजरंग पुत्र घीसालाल जाति रेगर नि0 सुरसुरा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0
5. सुरज्ञान पुत्री घीसालाल जाति रेगर नि0 सुरसुरा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0

––––प्रार्थी

बनाम

1. नाथी पुत्री रामेश्वर जाति कुम्हार नि0 सुरसुरा निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
2. नारंगी पुत्री रामेश्वर जाति कुम्हार नि0 सुरसुरा निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
3. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर जाति कुम्हार नि0 सुरसुरा निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
4. सुरज्ञान पुत्री रामेश्वर जाति कुम्हार नि0 सुरसुरा निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
5. सायरी पत्नि रामेश्वर जाति कुम्हार नि0 सुरसुरा निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ
6. केसर पत्नि पांचू जाति गुर्जर नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
7. काना पुत्र मोती जाति गुर्जर नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
8. नन्दु पुत्री तेजा जाति गुर्जर नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
9. नानूडा पुत्र सुखा जाति गुर्जर नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
10. भागचन्द पुत्र पांचू जाति गुर्जर नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
11. मनभर पुत्री तेजा जाति गुर्जर नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
12. रामरतन पुत्र तेजा जाति गुर्जर नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ
13. लाली पुत्री पांचू जाति गुर्जर नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
14. सत्या पत्नि तेजा जाति गुर्जर नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
15. सुमन पुत्री तेजा जाति गुर्जर नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
16. सीमा पुत्री पांचू जाति गुर्जर नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा–भू0राजस्व अधि0 1956
वास्ते सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत्।

निर्णय दिनांक 28.02.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.04.22 14:07:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जे [illegible] खातेदारी की कृषि आराजी खाता संख्या 269 के ख0न0 550 रकबा 0.3397 है0 भूमि ग्राम सुरसुरा [illegible] हल्का सुरसुरा पटवार निरीक्षक हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व जमाबन्दी में अन्तर्निहित हैं तथा उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण के नाम संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण की उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा या दखल नहीं हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज, काश्त चले आ रहे है तथा उक्त ख0न0 की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थीगण की उक्त ख0न0 की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज, काश्त करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण को अपने खेतो में भूमि की बुवाई, जुताई,बिजाई, निराई, गुडाई ,जोत करने तथा नींव, मेड़ को लेकर आपत्ति एंव बाधा रूकावट पैदा ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 17 भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

वादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के राजस्व क्षेत्राधिकार की सीमाओं में स्थित होने से श्रीमान को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी संख्या 3,5,6,7,9,10,12,14,15,17 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1,2,4,8,11,13,16 के नोटिस अदम तामिल प्राप्त होन पर वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1,2,4,8,11,13,16 को प्रकरण से डिलीट करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1,2,4,8,11,13,16 को प्रकरण से डिलीट करने के आदेश दिये गये है। अप्रार्थी संख्या 17 (तहसीलदार रूपनगढ) की ओर प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम सुरसुरा की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2070–73 जमाबन्दी संवत 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 269 के ख0न0 550रकबा 0.3397 है0 अशोक पुत्र घीसालाल (प्रार्थी संख्या 1) हि0 1/5 जाति रेगर इन्दरा पुत्री घीसालाल (प्रार्थी संख्या 2) हि0 1/5 जाति रेगर, जितेन्द्र पुत्र घीसालाल (प्रार्थी संख्या 03)हि0 1/5 जाति रेगर, बजरंग पुत्र घीसालाल (प्रार्थी संख्या 4) हि0 1/5 जाति रेगर, सुरज्ञान पुत्री घीसालाल (प्रार्थी संख्या 5) हि0 1/5 जाति रेगर सा0 देह खातेदार के नाम रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण में बहस सुनी गयी। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा के खाता संख्या 269 के ख0न0 550 रकबा 0.3397 है0 भूमि के पडोसी खातेदारो को सुचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.04.22 14:07:16 IST
Reason: SelfAttested